

सं. 15011/36/2022-जेयूस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित जुलाई, 2024 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग से संबंधित जुलाई, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- 1. 'हमारा संविधान हमारा सम्मान': दूसरा क्षेत्रीय समारोह, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश**
 - क.** 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' के लिए दूसरा क्षेत्रीय समारोह **16 जुलाई, 2024** को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस समारोह में माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री अरुण भंसाली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता की गरिमामई उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
 - ख.** इस कार्यक्रम में 800 से अधिक व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से और 2,000 से अधिक व्यक्तियों ने डिजिटल रूप से भाग लिया। उपस्थित व्यक्तियों में बार एसोसिएशन के सदस्य, कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमी, न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता, न्यायिक अधिकारी, सरकारी वकील, मीडिया कर्मी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में निम्नलिखित शामिल था:
 - MyGov मंच के माध्यम से आयोजित "हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान। संविधान प्रश्नोत्तरी के 1,000 विजेताओं में से शीर्ष तीन प्रविष्टियों के साथ-साथ पंच प्रण रंगोत्सव (पोस्टर-मेकिंग) और पंच प्रण अनुभव (रील प्रतियोगिता) के 15-15 विजेताओं को सम्मानित किया गया।
 - "हमारा संविधान" के लिए एक समर्पित पोर्टल का शुभारंभ, जिसे संवैधानिक शिक्षा को सुलभ और बोधगम्य तरीकों से फैलाने और नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इवेंट से संबंधित पोस्ट को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 50,000 से अधिक बार देखा गया। इस आयोजन का मीडिया कवरेज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रारूपों में, 15,79,723 दर्शकों तक पहुंचा।

ग. दूरदर्शन ने दिशा योजना के तहत न्याय विभाग के सहयोग से विभिन्न कानूनी जागरूकता मुद्दों को संबोधित करते हुए 56 टीवी कार्यक्रम विकसित किए हैं। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। जुलाई 2024 तक, उप-विषय "विधि जागृति अभियान" के तहत 11 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों पर 42 एपिसोड प्रसारित किए गए हैं, जो 19.01 लाख दर्शकों तक पहुंच रहे मौजूदा अखिल भारतीय "हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान का हिस्सा है।

2. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:

क. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी): जून, 2024 के दौरान, कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 21 लाख से अधिक मामलों और 22 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में सूचना एनजेडीजी पोर्टल में जोड़ी गई थी।

ख. वर्चुअल कोर्ट:

- 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 28 वर्चुअल कोर्ट कार्य कर रहे हैं अर्थात दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और मणिपुर में दो-दो वर्चुअल कोर्ट तथा हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में एक-एक वर्चुअल कोर्ट कार्य कर रहे हैं। इनमें तीन नए वर्चुअल कोर्ट, अर्थात उत्तराखंड में एक अतिरिक्त वर्चुअल कोर्ट और मणिपुर में 2 वर्चुअल कोर्ट स्थापित करने से वर्चुअल कोर्टों की कुल संख्या 28 हो गई है।
- जून 2024 के दौरान 28 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 17,53,534 मामलों को निपटाया गया है और 1,78,432 मामलों में, 18.33 करोड़ रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।

ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: मई 2024 से जून 2024 तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 5,34,144 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालयों ने 97.302 मामलों (कुल 6.31 लाख मामलों) की सुनवाई की।

घ. न्यायाधीशों के लिए JustIS ऐप डाउनलोड: इस JustIS मोबाइल ऐप के डाउनलोड में जून, 2024 में 469 की वृद्धि देखी गई है।

ड. ई-सेवा केंद्र: मई, 2024 से जून, 2024 तक 22 नए ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं।

च. **ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड:** ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड में मई 2024 से जून 2024 तक 11 लाख अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

3. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसमें से दिनांक 31.07.2024 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 388.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, जुलाई, 2024 माह के दौरान इस योजना के तहत 148.46 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

4. टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंच:

क. **कानूनी सलाह:** 31 जुलाई, 2024 तक, 93,19,618 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई थी जिसमें जुलाई, 2024 माह के 3,61,904 लाभार्थी भी शामिल हैं।

ख. **जागरूकता सत्र:** जुलाई, 2024 माह में, ग्राम स्तर के उद्यमियों, न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 67 जिलों में कुल 80 जागरूकता सत्र और शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1,865 नागरिकों ने भाग लिया।

ग. **क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:** जुलाई 2024 में, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 94 जिलों में कुल 93 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 4,587 व्यक्तियों ने भाग लिया।

5. न्याय बंधु (प्रो-बोनो कानूनी सेवा) कार्यक्रम:

81 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं को न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया गया। अब तक, 11,227 प्रो बोनो अधिवक्ताओं (पुरुष-9,403, महिला-1,822, ट्रांसजेंडर-02) को न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल किया गया है।

6. लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लबों द्वारा संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम:

क. नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, गुड़गांव के प्रो बोनो क्लब ने "अनलॉकिंग लीगल होराइजन्स: एम्पावरिंग एजुकेटर्स इन कंटेम्परेरी लीगल इश्यूज" नामक एक सप्ताहिक क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नए आपराधिक कानून शामिल किए गए थे। इस कार्यक्रम में 10 व्याख्यान रखे गए थे जिसमें 70 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही।

- ख. बिड़ला स्कूल ऑफ लॉ, बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर के प्रो बोनो क्लब ने ओडिशा के गोथापटना में अपने गोद लिए गांव के विश्वविद्यालय के छात्रों और स्कूली छात्रों के लिए 15 दिवसीय पोस्टर-निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ग. एसओएल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद के प्रो बोनो क्लब ने नन्हक फाउंडेशन, गाजियाबाद-शिक्षा केंद्र का दौरा कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा को समझने की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम और 'अच्छे और बुरे स्पर्श' की भावनाओं के बारे में शिक्षित करना था। इस आउटरीच प्रयास के माध्यम से 35 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।
- घ. लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो बोनो क्लब ने आपराधिक कानून में नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए "नए आपराधिक कानून" नामक एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ड. विधि संकाय, विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के प्रो बोनो क्लब ने एस. एस. जैन सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर में "कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा" विषय पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 30 प्रतिभागी शामिल हुए।
- च. कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (केएलईएफ), विधि कॉलेज, केएलईएफ विश्वविद्यालय, गुंटूर के प्रो बोनो क्लब ने "एनीमिया पर काबू पाने के लिए उपचारात्मक उपाय" विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस आयोजन में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- छ. पी.जी. विधि विभाग, बरहामपुर विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब ने वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस पहल के माध्यम से 20 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।
7. विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):
- क. शैडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा ने अपने डिजिटल कानूनी साक्षरता अभियान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी रखा, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 से संबंधित कानून शामिल किए गए। इस अभियान के माध्यम से 37, 130 दर्शकों तक पहुंचा गया।

- ख. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रशिक्षकों और पैरालीगल स्वयंसेवकों के लिए एक तैयार रेकनर "कानूनी अधिकारों के लिए कानूनी सहायता" का खंड 2 जारी किया। यह प्रकाशन 68.429 दर्शकों तक पहुंचा।
- ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र ने 31 जुलाई, 2024 को मालेगांव ब्लॉक के ग्राम अमानवाड़ी में न्यायिक साक्षरता अभियान पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 95 प्रतिभागी शामिल हुए।
- घ. अब्दुल नज़ीर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूरु ने 60,569 (व्यक्तिगत और डिजिटल दोनों) की पहुंच के साथ जिला, तालुक और ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक वेबिनार आयोजित की।
- ङ. डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (एजीएलसी), पुडुचेरी ने क्लूनी हायर सेकेंडरी स्कूल, लॉस्पेट, पुडुचेरी के सेंट जोसेफ में एक न्याय ओली क्लब का उद्घाटन किया। नए आपराधिक कानूनों पर एक पुस्तिका छात्रों को वितरित की गई, इस क्लब के माध्यम से 48 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।
- च. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने 26 जुलाई, 2024 को अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" विषय पर एक परस्पर वार्ता सत्र की मेजबानी की। इस सत्र को 557 दर्शकों द्वारा देखा गया।
- छ. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने बिहार के अररिया और सीतामढ़ी जिलों में "विधि मित्र के माध्यम से 700 ग्राम पंचायतों का कानूनी सशक्तिकरण" नामक अपनी परियोजना के तहत जागरूकता सत्र आयोजित किए। सत्र में 97 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ज. मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) ने स्थानीय और निर्वाचित नेताओं के बीच सामुदायिक मध्यस्थता की आवश्यकता पर अपनी बेसलाइन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह अध्ययन पश्चिम गारो हिल्स जिले में फुलबारी, चिडेकग्रे, कामा डुमिनीकग्रे और रोम्बाग्रे गांवों में किया गया जिसमें 54 घरों के साक्षात्कार शामिल थे।
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए): नालसा के तत्वावधान में, 09 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों के स्तर पर आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 जुलाई, 2024 और 27 जुलाई, 2024 को 1.72 लाख से अधिक पूर्व मुकद्दमा मामले और 23.87 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया।
